

**कृषि मंत्रालय**  
**मांग संख्या 1**  
**कृषि और सहकारिता विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		9827.22	627.98	10455.20	9715.23	526.77	10242.00	11215.17	607.50	11822.67
पूंजी		278.45	0.80	279.25	84.77	0.77	85.54	91.90	0.65	92.55
जोड़		<b>10105.67</b>	<b>628.78</b>	<b>10734.45</b>	<b>9800.00</b>	<b>527.54</b>	<b>10327.54</b>	<b>11307.07</b>	<b>608.15</b>	<b>11915.22</b>
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	5.00	34.25	39.25	6.50	41.58	48.08	8.00	51.15	59.15
<b>कृषि कार्य</b>										
2. बीज	3601	36.00	...	36.00	36.00	...	36.00	80.00	...	80.00
	3602	0.34	...	0.34	0.34	...	0.34	0.59	...	0.59
	2401	130.16	...	130.16	508.81	...	508.81	338.66	...	338.66
	4401	1.50	...	1.50	0.96	...	0.96	0.75	...	0.75
	जोड़	<b>168.00</b>	...	<b>168.00</b>	<b>546.11</b>	...	<b>546.11</b>	<b>420.00</b>	...	<b>420.00</b>
3. इक्विटी की तुलना में घाटे का निपटान										
3.01 भारतीय राज्य कृषि निगम लि. (एसएफसीआई)	2401	...	...	...	...	117.12	117.12	...	...	...
3.02 घटाइये - निवल प्राप्ति	0401	...	...	...	...	-117.12	-117.12	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>खाद्यान्न फसलें</b>										
4. खाद्यान्न फसलों की अन्य योजनाएं	2401	...	0.73	0.73	...	0.87	0.87	...	1.10	1.10
5. खाद और उर्वरक										
5.01 राष्ट्रीय मृदा, स्वास्थ्य एवं उर्वरक प्रबन्धन परियोजना	2401	22.00	...	22.00	19.98	...	19.98	44.35	...	44.35
	3601	19.00	...	19.00	...	...	...	0.10	...	0.10
	3602	1.00	...	1.00	...	...	...	0.05	...	0.05
	4401	5.00	...	5.00	...	...	...	2.50	...	2.50
	जोड़	<b>47.00</b>	...	<b>47.00</b>	<b>19.98</b>	...	<b>19.98</b>	<b>47.00</b>	...	<b>47.00</b>
5.02 अन्य कार्यक्रम	2401	14.50	...	14.50	15.19	...	15.19	11.85	...	11.85
	3601	9.00	...	9.00	8.00	...	8.00	7.00	...	7.00
	3602	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
	4401	6.35	...	6.35	10.35	...	10.35	5.00	...	5.00
	जोड़	<b>30.00</b>	...	<b>30.00</b>	<b>33.69</b>	...	<b>33.69</b>	<b>24.00</b>	...	<b>24.00</b>
<b>जोड़-खाद और उर्वरक</b>		<b>77.00</b>	...	<b>77.00</b>	<b>53.67</b>	...	<b>53.67</b>	<b>71.00</b>	...	<b>71.00</b>
6. पौध संरक्षण	3601	0.90	...	0.90	0.85	...	0.85	0.90	...	0.90
	2401	37.45	17.69	55.14	37.41	21.50	58.91	38.45	26.76	65.21
	4401	4.45	...	4.45	2.90	...	2.90	3.45	...	3.45
	जोड़	<b>42.80</b>	<b>17.69</b>	<b>60.49</b>	<b>41.16</b>	<b>21.50</b>	<b>62.66</b>	<b>42.80</b>	<b>26.76</b>	<b>69.56</b>
<b>वाणिज्यिक फसलें</b>										
7. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	2401	...	0.98	0.98	...	0.97	0.97	...	1.02	1.02
8. जूट प्रौद्योगिकी मिशन - लघु मिशन-II	2401	0.85	...	0.85	0.48	...	0.48	1.00	...	1.00
	3601	9.15	...	9.15	6.94	...	6.94	9.00	...	9.00
	जोड़	<b>10.00</b>	...	<b>10.00</b>	<b>7.42</b>	...	<b>7.42</b>	<b>10.00</b>	...	<b>10.00</b>
9. गहन कपास विकास कार्यक्रम/ कपास प्रौद्योगिकी मिशन	3601	77.00	...	77.00	50.00	...	50.00	52.00	...	52.00
	2401	12.00	0.89	12.89	8.52	0.79	9.31	7.00	0.92	7.92
	जोड़	<b>89.00</b>	<b>0.89</b>	<b>89.89</b>	<b>58.52</b>	<b>0.79</b>	<b>59.31</b>	<b>59.00</b>	<b>0.92</b>	<b>59.92</b>
10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2401	993.00	...	993.00	973.42	...	973.42	1260.00	...	1260.00
11. तिलहन एवं दलहन तकनीकी मिशन के अन्य कार्यक्रम (टीएमओपी)										
11.01 तिलहन, ऑयलपाम, दलहन तथा मक्का का समेकित विकास	2401	85.00	...	85.00	159.60	...	159.60	85.00	...	85.00
	3601	221.00	...	221.00	236.50	...	236.50	221.00	...	221.00
	जोड़	<b>306.00</b>	...	<b>306.00</b>	<b>396.10</b>	...	<b>396.10</b>	<b>306.00</b>	...	<b>306.00</b>
11.02 पेड़ों से मिलने वाले तिलहन	2401	8.00	...	8.00	8.29	...	8.29	8.00	...	8.00
जोड़-टीएमओपी के अन्य कार्यक्रम		<b>314.00</b>	...	<b>314.00</b>	<b>404.39</b>	...	<b>404.39</b>	<b>314.00</b>	...	<b>314.00</b>

सं. 1/कृषि और सहकारिता विभाग

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			(करोड़ रुपए) बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		12. जल संभरण विकास परिषद	2401	...	0.52	0.52	...	0.60	0.60	...
13. राष्ट्रीय वर्षासंचित क्षेत्र प्राधिकरण	2401	4.00	...	4.00	3.26	...	3.26	4.00	...	4.00
14. वर्षासंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2401	25.00	...	25.00	0.03	...	0.03	25.00	...	25.00
	3601	282.00	...	282.00	3.97	...	3.97	112.00	...	112.00
	3602	2.00	...	2.00	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	309.00	...	309.00	4.00	...	4.00	138.00	...	138.00
15. अन्य वाणिज्यिक फसलें	2401	...	1.81	1.81	...	2.10	2.10	...	2.67	2.67
<b>जोड़-वाणिज्यिक फसलें</b>		<b>1719.00</b>	<b>4.20</b>	<b>1723.20</b>	<b>1451.01</b>	<b>4.46</b>	<b>1455.47</b>	<b>1785.00</b>	<b>5.35</b>	<b>1790.35</b>
16. बागवानी और सब्जी फसलें	2401	184.00	1.63	185.63	195.34	1.96	197.30	184.00	2.29	186.29
17. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	2401	120.00	...	120.00	120.97	...	120.97	120.00	...	120.00
18. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2401	1100.00	...	1100.00	1000.00	...	1000.00	1100.00	...	1100.00
19. लघु सिंचाई	2401	500.00	...	500.00	430.00	...	430.00	430.00	...	430.00
20. विस्तार और प्रशिक्षण	2401	11.00	6.88	17.88	14.38	7.92	22.30	11.00	9.37	20.37
21. राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता	2401	257.00	...	257.00	167.50	...	167.50	260.25	...	260.25
	3601	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00
	3602	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	0.75	...	0.75
	जोड़	268.00	...	268.00	173.00	...	173.00	268.00	...	268.00
22. फसल बीमा-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए भारतीय साधारण बीमा कम्पनी/ एआईसी को भुगतान	2401	644.00	...	644.00	694.00	...	694.00	644.00	...	644.00
23. मौसम आधारित फसल बीमा योजना	2401	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
<b>कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी</b>										
24. कृषि गणना	2401	5.53	...	5.53	5.53	...	5.53	5.53	...	5.53
	3601	12.07	...	12.07	12.07	...	12.07	12.07	...	12.07
	3602	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
	जोड़	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00
25. कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं										
25.01 अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय	2401	...	9.38	9.38	...	11.51	11.51	...	13.56	13.56
25.02 कृषि संबंधी सांख्यिकी में सुधार	2401	0.03	...	0.03	...	...	...	0.03	...	0.03
	3601	46.75	...	46.75	48.79	...	48.79	53.75	...	53.75
	3602	0.22	...	0.22	0.22	...	0.22	0.22	...	0.22
	जोड़	47.00	...	47.00	49.01	...	49.01	54.00	...	54.00
25.03 अन्य कार्यक्रम	2401	34.00	2.51	36.51	32.84	3.08	35.92	42.00	3.88	45.88
<b>जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं</b>		<b>81.00</b>	<b>11.89</b>	<b>92.89</b>	<b>81.85</b>	<b>14.59</b>	<b>96.44</b>	<b>96.00</b>	<b>17.44</b>	<b>113.44</b>
<b>जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी</b>		<b>99.00</b>	<b>11.89</b>	<b>110.89</b>	<b>99.85</b>	<b>14.59</b>	<b>114.44</b>	<b>114.00</b>	<b>17.44</b>	<b>131.44</b>
26. कृषि इंजीनियरिंग	2401	4.68	6.98	11.66	4.84	8.02	12.86	6.13	9.53	15.66
	3601	6.17	...	6.17	9.17	...	9.17	12.67	...	12.67
	4401	4.15	0.80	4.95	4.15	0.77	4.92	12.20	0.65	12.85
	जोड़	15.00	7.78	22.78	18.16	8.79	26.95	31.00	10.18	41.18
27. बाजार हस्तक्षेप प्रचालन योजना/मूल्य समर्थन योजना के लिए नेफेड को अनुदान	2401	...	500.00	500.00	...	375.00	375.00	...	425.00	425.00
28. भारतीय राज्य कृषि निगम लि.										
28.01 बकाया ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन	4401	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...
28.02 ब्याज देयता की इक्विटी में परिवर्तन	4401	...	...	...	65.68	...	65.68	...	...	...
28.02.01 घटाइये-निवल प्राप्तियां	0049	...	...	...	-65.68	...	-65.68	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29. फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम										
29.01 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2401	...	14.01	14.01	...	14.51	14.51	...	14.70	14.70
29.02 गरीब देशों को कृषि तथा विकास सहायता के क्षेत्र में सहयोग	3605	...	0.20	0.20	...	0.19	0.19	...	0.19	0.19

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
29.03 अन्य कार्यक्रम	2401	109.00	...	109.00	127.76	...	127.76	108.00	...	108.00
	3601	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00	
	जोड़	109.00	...	109.00	127.76	...	127.76	109.00	...	109.00
जोड़-कृषि कार्य के अन्य कार्यक्रम		109.00	14.21	123.21	127.76	14.70	142.46	109.00	14.89	123.89
<b>जोड़-फसल कार्य</b>		<b>5106.80</b>	<b>565.01</b>	<b>5671.81</b>	<b>5065.42</b>	<b>449.79</b>	<b>5515.21</b>	<b>5379.80</b>	<b>512.38</b>	<b>5892.18</b>
<b>अन्य कृषि कार्यक्रम</b>										
30. अन्य प्रशासनिक सेवाएं - कीटनाशी अधिनियम का कार्यान्वयन	2070	1.20	5.61	6.81	1.40	6.87	8.27	1.20	8.23	9.43
	4070	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	3.20	5.61	8.81	3.40	6.87	10.27	3.20	8.23	11.43
31. कृषि विपणन	2435	149.75	22.10	171.85	178.90	27.07	205.97	150.75	33.63	184.38
	3601	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
	4435	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	152.00	22.10	174.10	181.15	27.07	208.22	153.00	33.63	186.63
<b>जोड़-अन्य कृषि कार्यक्रम</b>		<b>155.20</b>	<b>27.71</b>	<b>182.91</b>	<b>184.55</b>	<b>33.94</b>	<b>218.49</b>	<b>156.20</b>	<b>41.86</b>	<b>198.06</b>
<b>मृदा और जल संरक्षण</b>										
32. दामोदर घाटी निगम को अनुदान	2402	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.45	0.45
33. अन्य मृदा और जल संरक्षण योजनाएं										
33.01 अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण तथा मृदा सर्वेक्षण के लिए दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का प्रयोग	2402	9.00	1.41	10.41	11.00	1.83	12.83	12.00	2.31	14.31
	4402	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	11.00	1.41	12.41	13.00	1.83	14.83	14.00	2.31	16.31
<b>राज्य आयोजना</b>										
34. झूम कृषि का नियंत्रण	3601	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
<b>जोड़-राज्य आयोजना</b>		<b>40.00</b>	<b>...</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>...</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>...</b>	<b>40.00</b>
<b>जोड़-मृदा और जल संरक्षण सहकारिता</b>		<b>51.00</b>	<b>1.81</b>	<b>52.81</b>	<b>53.00</b>	<b>2.23</b>	<b>55.23</b>	<b>54.00</b>	<b>2.76</b>	<b>56.76</b>
35. शिक्षा और प्रशिक्षण	2425	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
36. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारिता विकास हेतु रा.स.वि.नि. कार्यक्रम को सहायता	2425	49.00	...	49.00	49.00	...	49.00	49.00	...	49.00
37. राज्य भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर	6425	58.00	...	58.00	58.00	...	58.00	58.00	...	58.00
<b>जोड़-सहकारिता</b>		<b>137.00</b>	<b>...</b>	<b>137.00</b>	<b>137.00</b>	<b>...</b>	<b>137.00</b>	<b>137.00</b>	<b>...</b>	<b>137.00</b>
38. वृहद् कृषि प्रबंधन	2401	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	3601	631.20	...	631.20	769.00	...	769.00	779.00	...	779.00
	3602	0.80	...	0.80	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	7601	157.80	...	157.80	...	...	...	...	...	...
	7602	0.20	...	0.20	...	...	...	...	...	...
	जोड़	795.00	...	795.00	775.00	...	775.00	785.00	...	785.00
39. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)										
39.01 राज्य आयोजना	3601	1580.00	...	1580.00	1580.00	...	1580.00	4052.70	...	4052.70
39.02 संघ राज्य आयोजना (विधान मंडल वाले)										
39.02.01 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	3602	1.67	...	1.67	1.67	...	1.67	...	...	...
39.02.02 पुडुचेरी	3602	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	...	...	...
	जोड़	5.67	...	5.67	5.67	...	5.67	...	...	...
39.03 राज्य आयोजना (क्रियान्वयन एजेंसियां और प्रशासन व्यय)	2401	1573.30	...	1573.30	1296.63	...	1296.63	14.37	...	14.37
39.04 संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधान मण्डल रहित)										
39.04.01 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2401	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00	...	...	...
39.04.02 चंडीगढ़	2401	1.30	...	1.30	0.14	...	0.14	...	...	...

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			(करोड़ रुपए) बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
39.04.03 दादरा और नगर हवेली	2401	1.30	...	1.30	...	...	...	...	...	
39.04.04 लक्षद्वीप	2401	1.30	...	1.30	6.00	...	6.00	...	...	
39.04.05 दमन और दीव	2401	1.30	...	1.30	0.26	...	0.26	...	...	
जोड़		6.70	...	6.70	9.40	...	9.40	...	...	
<b>जोड़ - आरकेवीवाई</b>		<b>3165.67</b>	...	<b>3165.67</b>	<b>2891.70</b>	...	<b>2891.70</b>	<b>4067.07</b>	...	<b>4067.07</b>
40. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	655.00	...	655.00	684.43	...	684.43	716.00	...	716.00
	4552	4.00	...	4.00	2.40	...	2.40	4.00	...	4.00
	6552	31.00	...	31.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		690.00	...	690.00	686.83	...	686.83	720.00	...	720.00
<b>कुल जोड़</b>		<b>10105.67</b>	<b>628.78</b>	<b>10734.45</b>	<b>9800.00</b>	<b>527.54</b>	<b>10327.54</b>	<b>11307.07</b>	<b>608.15</b>	<b>11915.22</b>
<b>ख. सरकारी उद्यमों में निवेश</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
37. भूमि विकास बैंक	12425	58.00	...	58.00	58.00	...	58.00	58.00	...	58.00
जोड़		<b>58.00</b>	...	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>	...	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>	...	<b>58.00</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय केन्द्रीय आयोजना</b>										
1. फसल कार्य	12401	5901.80	...	5901.80	5840.42	...	5840.42	6164.80	...	6164.80
2. अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	152.00	...	152.00	181.15	...	181.15	153.00	...	153.00
3. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	5.00	...	5.00	6.50	...	6.50	8.00	...	8.00
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	3.20	...	3.20	3.40	...	3.40	3.20	...	3.20
5. मृदा और जल संरक्षण	12402	11.00	...	11.00	13.00	...	13.00	14.00	...	14.00
6. सहकारिता	12425	137.00	...	137.00	137.00	...	137.00	137.00	...	137.00
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	690.00	...	690.00	686.83	...	686.83	720.00	...	720.00
<b>जोड़-केन्द्रीय आयोजना राज्य आयोजना:</b>		<b>6900.00</b>	...	<b>6900.00</b>	<b>6868.30</b>	...	<b>6868.30</b>	<b>7200.00</b>	...	<b>7200.00</b>
1. झूम कृषि का नियंत्रण	43601	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	43601	3153.30	...	3153.30	2876.63	...	2876.63	4067.07	...	4067.07
<b>जोड़-राज्य आयोजना</b>		<b>3193.30</b>	...	<b>3193.30</b>	<b>2916.63</b>	...	<b>2916.63</b>	<b>4107.07</b>	...	<b>4107.07</b>
<b>संघ राज्य क्षेत्र आयोजना:</b>										
<b>संघ राज्य क्षेत्र आयोजना (विधान मंडल वाले)</b>										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	43602	1.67	...	1.67	1.67	...	1.67	...	...	...
2. पुडुचेरी	43602	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	...	...	...
<b>संघ राज्य क्षेत्र आयोजना (विधान मंडल रहित)</b>										
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	43602	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00	...	...	...
2. चंडीगढ़	43602	1.30	...	1.30	0.14	...	0.14	...	...	...
3. दादरा और नगर हवेली	43602	1.30	...	1.30	...	...	...	...	...	...
4. लक्षद्वीप	43602	1.30	...	1.30	6.00	...	6.00	...	...	...
5. दमन और दीव	43602	1.30	...	1.30	0.26	...	0.26	...	...	...
<b>जोड़-संघ राज्य क्षेत्र आयोजना</b>		<b>12.37</b>	...	<b>12.37</b>	<b>15.07</b>	...	<b>15.07</b>	...	...	...
<b>जोड़</b>		<b>10105.67</b>	...	<b>10105.67</b>	<b>9800.00</b>	...	<b>9800.00</b>	<b>11307.07</b>	...	<b>11307.07</b>

1. यह प्रावधान कृषि और सहकारिता विभाग के सचिवालय, परामर्शदाता (कृषि), भारतीय दूतावास, रोम के व्यय से संबंधित है। इसमें ऋण आयोजना और अनुवीक्षण तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विकास और राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड पर होने वाला स्थापना संबंधी व्यय भी शामिल है।

2. इसमें कृषक अधिकार विधान वाले पौधों की किस्मों के संरक्षण और गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण।

4. यह प्रावधान चावल और बाजरा निदेशालयों से सम्बद्ध विकास कार्यक्रमों के लिए है।

5. यह प्रावधान केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढीकरण और राष्ट्रीय कार्बनिक खेती संवर्धन परियोजना और राष्ट्रीय उर्वरक मृदा स्थिति और उर्वरक प्रबन्धन परियोजना पर व्यय के लिए है।

6. यह व्यवस्था भारत में वनस्पति संगरोध सुविधाओं, कीट प्रबन्धन के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशी अवशेषों की मानीटरिंग के लिए की गई है।

7. यह प्रावधान गैर-योजना के अंतर्गत तिलहन विकास निदेशालय के लिए है।

8. यह प्रावधान जूट प्रौद्योगिक मिशन-लघु मिशन-II के कार्यान्वयन के लिए है।

9. यह प्रावधान मुख्यतः शुरुआती प्रदर्शन आयोजित करने और संकर बीजों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य सरकारों को अनुदान-सहायता देने के लिए है।

10. राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अंगीकृत संकल्प के अनुसार, चावल, गेहूँ और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' नामक योजना शुरू की गई है ताकि देश खाद्यान्नों में आत्म निर्भर बन सके।

11. यह व्यवस्था एकीकृत तिलहनों, ताड़ के तेल, दलहनों और मक्का के विकास, और वृक्ष से प्राप्त तिलहन के लिए है।

12. यह व्यवस्था जल-संभर विकास परिषद के लिए है।

13. यह प्रावधान राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) के लिए है। यह प्राधिकरण नीति निर्माता और सलाहकारी निकाय है।

14. वर्षासिंचित क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई स्कीम वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित की जाएगी। निधियां क्रियान्वयक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ-साथ केन्द्रीय संस्थानों/संगठनों को प्रदान की जाएगी ताकि कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सके। यह स्कीम वर्षासिंचित क्षेत्रों में प्राथमिकताबद्ध किए गए प्रदेशों का व्यापक विकास करेगी तथा इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर वर्षासिंचित क्षेत्रों में आजीविका समर्थन प्रणाली के सुदृढीकरण में मदद करेगी।

15. यह प्रावधान वाणिज्यिक फसलों के विकास कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी विभिन्न निदेशालयों पर व्यय करने के लिए की गई है।

16 और 17. यह प्रावधान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड, बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन, बांस प्रौद्योगिकी तथा व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन, नारियल बगीचों के पुनरुज्जीवन और दो निदेशालयों (काजू और मसाले) के लिए प्रावधान है।

18. फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों आदि की खेती में उत्साहवर्धक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गयी है जिससे कि इनका उत्पादन दुगना किया जा सके। इसका उद्देश्य स्वर्ण क्रांति को बनाये रखते हुए बागवानी उपज कराना, और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और निर्यातों में वृद्धि करना है।

19. 8वीं योजना के दौरान, कृषि में ड्रिप और छिड़काव सिंचाई वाली पद्धतियों के साथ प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए, इस योजना के तहत सरकार ने लघु सिंचाई विकास पर जोर दिया था। इस प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रों को शामिल करने की दृष्टि से लघु-सिंचाई योजना शुरू की गई है।

20 और 21. इसमें केन्द्रीय संस्थाओं/डीओई को विस्तार सहायता, तथा राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने सम्बन्धी योजनाओं हेतु प्रावधान है।

22. यह व्यवस्था "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" (एनएआईएस) के लिए है जिसे कृषकों, फसलों तथा जोखिम को शामिल करके इसके कवरेज को बढ़ाने के लिए खरीफ मौसम 1999 से कार्यान्वित किया गया है। यह योजना "क्षेत्र दृष्टिकोण" के आधार पर संचालित की जाती है और प्रत्येक भागीदार राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र से यह अपेक्षा है कि वे तीन वर्षों की समयावधि में बीमा के इकाई क्षेत्र के रूप में ग्राम पंचायत के स्तर तक पहुंचें।

23. कृषि बीमा निगम खरीफ 2004 से मौसम आधारित एक बीमा योजना संचालित कर रहा है। यह योजना दो या तीन राज्यों में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वयन के लिए बनायी गयी है।

24. यह प्रावधान कृषि गणना को निष्पादित करने के लिए होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रचालानात्मक जोतों की संरचना तथा नीति के निमित्त आवश्यक अन्य मामलों पर आंकड़े प्राप्त करना है।

25. यह व्यवस्था कृषि नीति के लिए निविष्टियों संबंधी अध्ययन, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, अन्तरिक्ष कृषि मौसम और भू-आधारित अवलोकन

(एफएएसएल) का उपयोग करते हुए कृषि उपज की भविष्यवाणी, और कृषि सांख्यिकी में सुधार के लिए है।

26. यह व्यवस्था फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थानों के लिए है। ये संस्थान प्रगतिशील कृषकों, तकनीशयनों, राज्य सरकारों के नामितों और कृषि उद्योग निगमों, कृषि संस्थाओं और इंजीनियरिंग उद्यमों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। इस व्यवस्था में कृषकों के खेतों पर बागवानी उपकरणों फसल पश्च प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन के साथ नए विकसित कृषि उपकरणों का प्रदर्शन भी शामिल है।

27. मूल्य समर्थन अथवा बाजार हस्तक्षेप संबंधी उपाय किसानों को समुचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए है। नैफेड ऐसे कार्य करने के लिए निर्दिष्ट केन्द्रीय एजेंसी है।

29. इसमें निर्धन देशों को कृषि एवं विकास सहायता के क्षेत्र में सहयोग, खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम को अंशदान शामिल है। इस व्यवस्था में कृषि-कारोबार एवं कृषि क्लिनिकों, कृषि सूचना प्रणालियों का सुदृढीकरण/संवर्धन और कृषि विस्तार में मास मीडिया प्रयोग के लिए भी व्यवस्था शामिल है।

30. यह व्यवस्था कीटनाशी अधिनियम के प्रशासन तथा क्रियान्वयन संबंधी व्यय के लिए है।

31. यह व्यवस्था एगमार्क ग्रेडिंग और निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूती देने, बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण, विपणन सूचना नेटवर्क, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थानों को सहायता, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, बाजार अवसंरचना का विकास, ग्रेडिंग और मानकीकरण के लिए है।

32. यह व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अनुदान के लिए की गई है।

33. यह व्यवस्था अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए की गई है।

34. इस व्यवस्था में झूम खेती से संबंधित राज्य आयोजना स्कीमों के लिए केंद्रीय सहायता शामिल है।

35. यह प्रावधान सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए शिक्षा और राज्यों सहकारी विभागों/सहकारी संस्थानों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए है जिससे कि सहकारी समितियों के लाभ के बारे में सदस्यों को अवगत कराने का उद्देश्य प्राप्त हो।

36. यह व्यवस्था सहकारी समितियों के विकास हेतु एनसीडीसी को सहायता देने की स्कीम के लिए की गई है।

37. यह योजना लघु सिंचाई, भूमि विकास, फार्म यंत्रीकरण, आदि के क्षेत्र में विकासोन्मुख प्रयोजनों के लिए कृषकों को दीर्घावधिक कृषि ऋण देने के लिए है।

38. समझौता ज्ञापन आधार पर केन्द्र - प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को लचीलापन अनुदान सहायता करने के लिए, 27 चालू स्कीमों के समेकन के जरिए बृहद कृषि प्रबन्धन (एमएमए) नामक एक नई योजना तैयार की गई है।

39. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में एक संकल्प अंगीकार किया गया जिसमें 11वीं योजना के दौरान कृषि सेक्टर में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गयी। तदनुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नामक एक नई राज्य योजना लागू की गयी है। इस योजना से राज्यों को महत्वपूर्ण अन्तर्गत को पाटने के लिए उनके बेसलाइन व्यय के अलावा उनकी राज्य योजनाओं में कृषि हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देगी। जिला योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उनके आधार पर, प्रत्येक क्षेत्र की कृषि संबंधी दशाओं को ध्यान में रखते हुए, कृषि और सम्बद्ध सेक्टरों के लिए राज्य योजनाएं बनायी जाएंगी।

40. यह व्यवस्था पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ की स्कीमों के लिए है।